रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052022-235684
CG-DL-E-10052022-235684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2022/वैशाख 20, 1944
No. 331]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2022/VAISAKHA 20, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

सा.का.नि. 346(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii), उपधारा (6क) और उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (**पंद्रहवाँ संशोधन**) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस के अवसान के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962, —

(क) नियम 114 के उपनियम (3), में खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"(vii) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii) के अधीन विहित संव्यवहार करने का आशय रखता है, उस तारीख से, जिसको उक्त संव्यवहार करने का आशय रखता है, कम से कम सात दिवस पहले, किया जाएगा।";

(ख) नियम 114ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**114खक. धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii) के प्रयोजनों के लिए संव्यव्हार.** —धारा 139क की उपधारा (1) के खंड (vii) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित संव्यव्हार होगें, अर्थात्: —

(क) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या डाकघर में, किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातें में, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपये तक संकलित नकद निक्षेप या निक्षेप;

(ख) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या डाकघर में, किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातें से, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपये तक संकलित नकद प्रत्याहरण या प्रत्याहरण;

(ग) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) या डाकघर में, किसी व्यक्ति द्वारा चालू खाता या नकद प्रत्यय खाता खोलना।"।

(ग) आय-कर (पंद्रहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा इस प्रकार अंत:स्थापित नियम 114खक के पश्चात्, उस तारीख से, जिसकों राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, साठ दिवस के अवसान के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा:—

"**114खख. धारा 139क की उपधारा (6क) के प्रयोजनों के लिए संव्यव्हार और धारा 139क के स्पष्टीकरण के खंड (कख) के प्रयोजनों के लिए विहित व्यक्ति.** —

(1) प्रत्येक व्यक्ति, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संव्यवहार करते समय, ऐसे संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों में यथास्थिति अपना स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या, उत्कथित करेगा और उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे दस्तावेजों को प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त संख्या सम्यक् रूप से उत्कथित और अधिप्रमाणित की गई है—

सारणी

क्रम सं.	संव्यवहार की प्रकृति	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातें में, किसी वित्तीय वर्ष में, बीस लाख रूपये तक संकलित नकद निक्षेप या निक्षेप,— (i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) डाकघर में	(i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा निर्दिष्ट महाडाकपाल।

2.	किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातें से, किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख रूपये तक संकलित नकद प्रत्याहरण या प्रत्याहरण,— (i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ; (ii) डाकघर में	(i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा निर्दिष्ट महाडाकपाल।
3.	किसी व्यक्ति द्वारा चालू खाता या नकद प्रत्यय खाता खोलना,— (ii) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में, जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) डाकघर में	(i) किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है); (ii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा निर्दिष्ट महाडाकपाल।

(2) धारा 139क में निर्दिष्ट अधिप्रमाणन के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना या बायोमेट्रिक सूचना के साथ स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या, बोर्ड के अनुमोदन से प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) अथवा प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली), स्थायी लेखा संख्या या आधार संख्या के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया के साथ रूपविधान और मानक अधिकथित करेंगे ।"

[अधिसूचना सं. 53/2022/फा.सं 370142/49/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधायन प्रभाग

टिप्पण:— मूल नियम अधिसूचना संख्याक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च,1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्याक 343(अ) तारीख 09 मई, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2022

G.S.R. 346(E).—In exercise of the powers conferred by clause (vii) of sub-section (1), sub-section(6A) of section 139A, and clause (ab) of *Explanation* to the said section read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Income–tax (**Fifteenth Amendment**) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force after the expiry of fifteen days from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the Income-tax Rules, 1962**,—

(a) in rule 114, in sub-rule (3), after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:—

"(vii) in the case of a person who intends to enter into the transaction prescribed under clause (vii) of sub-section (1) of section 139A, at least seven days before the date on which he intends to enter into the said transaction.";

(b) after rule 114B, the following rule shall be inserted, namely:—

"**114BA. Transactions for the purposes of clause (vii) of sub-section (1) of section 139A.—** The following shall be the transactions for the purposes of clause (vii) of sub-section (1) of section 139A, namely:—

(a) cash deposit or deposits aggregating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or a Post Office;

(b) cash withdrawal or withdrawals aggregating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or a Post Office;

(c) opening of a current account or cash credit account by a person with a banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act) or a Post Office.";

(c) after rule 114BA, as so inserted by the Income-tax (Fifteenth Amendment) Rules, 2022, the following rule shall be inserted after the expiry of sixty days from the date on which this notification is published in the Official Gazette, namely:—

"**114BB. Transactions for the purposes of sub-section (6A) of section 139A and prescribed person for the purposes of clause (ab) of *Explanation* to section 139A.**— (1) Every person shall, at the time of entering into a transaction specified in column (2) of the Table below, quote his permanent account number or Aadhaar number, as the case may be, in documents pertaining to such transaction, and every person specified in column (3) of the said Table, who receives such document, shall ensure that the said number has been duly quoted and authenticated—

TABLE

Sl. No.	*Nature of transaction*	*Person*
(1)	(2)	(3)
1.	Cash deposit or deposits aggregating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with, — (i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office	(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).

Sl. No.	*Nature of transaction*	*Person*
(1)	(2)	(3)
2.	Cash withdrawal or withdrawals aggregating to twenty lakh rupees or more in a financial year, in one or more account of a person with, — (i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office	(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).
3.	Opening of a current account or cash credit account by a person with, — (i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Office	(i) A banking company or a co-operative bank to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) applies (including any bank or banking institution referred to in section 51 of that Act); (ii) Post Master General as referred to in clause (j) of section 2 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898).

(2) The permanent account number or Aadhaar number alongwith demographic information or biometric information of an individual shall be submitted to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) with the approval of the Board, for the purposes of authentication referred to in section 139A.

(3) Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall lay down the formats and standards along with procedure for authentication of permanent account number or Aadhaar number.”.

[Notification No. 53/2022/F.No. 370142/49/2020-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 343(E), dated the 09th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.10 21:15:22 +05'30'